(1)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

मिस वाद सं0 – ...43.../2021

धारा 133 द0प्र0स0

राज्य

वनाम

सुरेश साव

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश फलक	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
09-07-2021	अंचल अधिकारी, सदर चाईवासा के पत्रांक 657, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि मौजा – नगरपालिका चाईवासा, वार्ड न0 – 12, प्लॉट न0 – 119 एवं 123 में पुलहातु (शिव मंदिर) के निवासियों के आवागमन हेतु रास्ता छोड़ा गया है। उक्त भूमि को सुरेश साव, पिता – राधा कृष्ण साव, सा0 – पुलहातु, जिला – प0सिंहभूम चाईवासा के द्वारा गलत तरीके से बिक्री कर दिया जा रहा है। जिससे न्यूसेंस उत्पन्न होने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर सुरेश साव, पिता – राधा कृष्ण साव, सा0 – पुलहातु, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईवासा को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं उक्त भू–खण्ड को सार्वजनिक रास्ता हेतु आदेश पारित कर दिया जाय। अभिलेख दिनांक ...17/07/2021... को उपस्थापित करें। [signature] 9.7.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चाईबासा।	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

मिस वाद सं0 – 43/2021

धारा 133 द0प्र0स0

राज्य

वनाम

सुरेश साव

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
06-08-2021	उक्त वाद की कार्रवाई आवेदकगण डिम्पल कर्मकार एवं अन्य सभी निवासी पुलहातु (शिव मंदिर के सामने) थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम के द्वारा समर्पित आवेदन पर अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक 657, दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गई है। आवेदकगण डिम्पल कर्मकार एवं अन्य के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि उनके द्वारा मोहल्ला – पुलहातु, वार्ड सं0 – 01 स्थित खाता न0 – 45, प्लॉट न0 – 176 में से भूमि क्रय किया गया है। वे पिछले 40–45 वर्ष से इस स्थान पर रह रहे हैं एवं आवागमन हेतु रोरो नदी के किनारे से गुजरने वाली रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। उक्त रास्ते में दो धार्मिक स्थल 1. शिव मंदिर एवं 2. चाला टोंका (उरांव समाज) भी आता है। उक्त रास्ता को रामदेनी यादव के घर से चाला टोंका तथा स्व0 बालमुकुन्द प्रसाद के घर से शिव मंदिर तक उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सुरेश साव, पिता – स्व0 राधाकृष्ण साव, निवासी मोहल्ला – पुलहातु, वार्ड सं0 – 01, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा एवं मदन साव, पिता – स्व0 राधाकृष्ण साव, सा0 – कसाई मोहल्ला, वड़ी वाजार चाईवासा, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा के द्वारा इस जमीन पर जवरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसके कारण आवागमन का सार्वजनिक रास्ता प्रभावित हो रहा है तथा रासते को जवरदस्ती संकीर्ण किया जा रहा है। आवेदकगण के आवेदन पर अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक 657, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सार्वजनिक रास्ता होल्डिंग न0 – 1278, पुराना प्लॉट न0 – 176 से होकर है। पंजी–II के अनुसार हो0न0 – 1278, पुराना प्लॉट न0 – 176, रकवा – 1.16 एकड़ जमीन सीताराम साव, पिता – गजाधर राम साव को बगीचा लगाने हेतु अगले सर्वे तक लीज पर दिया गया है। हाल सर्वे खतियान के अनुसार यह जमीन अनाबाद (बिहार)	

झारखण्ड सरकार के खाते की है। मूल लीजधारी सीताराम साव, पिता – गजाधर साव अपने जीवनकाल में पुराना प्लॉट न0 – 176 से कई लोगों को विक्री कर चुके हैं। आने–जाने का रास्ता प्लॉट न0 – 119, 123 से होकर है। सीताराम साव, पिता – गजाधर साव की मृत्यु निःसंतान हो चुका है। वर्तमान में इनके भाई स्व0 राधाकृष्ण साव के पुत्र सुरेश साव द्वारा जमीन का विक्री किया जा रहा है। जिस पर लोगों का आने–जाने का रास्ता है। यह जमीन रोरो नदी के किनारे है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष सुरेश साव को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

द्वितीय पक्ष सुरेश साव के द्वारा दिनांक 27.07.2021 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष का कथन है कि आवेदकगण विवाद उत्पन्न कर द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति को हड़पना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष मूल लीजधारी सीताराम साव के वैध उत्तराधिकारी है। विवादित भूमि होल्डिंग न0 – 1278, खाता न0 – 45, पुराना प्लॉट न0 – 176, रकवा – 1.16 एकड़ मौजा – नगरपालिका, थाना न0 – 644, खाता न0 – 45, प्लॉट न0 – 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123 एवं 124, रकवा – 0.43.875 एकड़ स्व0 सीताराम साव के नाम पर दर्ज है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का लम्बे समय से भौतिक दखल है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का हक अधिकार एवं स्वामित्व है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि किसी को बिक्री नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी रास्ते पर दखल नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी रास्ते पर दखल नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने भूमि में से पहले ही 6 फीट रास्ता के लिये छोड़ा गया है। वहां के स्थानीय लोगों को 6 फीट रास्ता छोड़े जाने की पूरी जानकारी है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के प्रतिवेदन के अनुसार सीता राम साव का कोई संतान अथवा उत्तराधिकारी नहीं है, यह बात गलत है। अंचल अमीन के द्वारा रास्ता का मापी के समय द्वितीय पक्ष को सूचित नहीं किया गया और द्वितीय पक्ष मापी के समय उपस्थित नहीं थे। आवेदकगण गलत तरीके से जमीन को कब्जा कर बलपूर्वक द्वितीय पक्ष की जमीन से रास्ता लेना चाहते हैं। आवेदकगण को द्वितीय पक्ष की भूमि से रास्ता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वाद को खारिज करने से आवेदकगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं

5

होगी, बल्कि वाद को स्वीकार करने पर द्वितीय पक्ष को निरंतर क्षति होगा। आवेदकगण द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। आवेदकगण गलत तरीके से भूमि पर दखल करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु वे सफल नहीं हुये। द्वितीय पक्ष के द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण द्वारा वाद में दिनांक 17.07.2021 को उपस्थित होकर 10 फीट रास्ता एवं 2 फीट नाली कुल 12 फीट का रास्ता प्रदान करने के लिये आवेदन समर्पित किया गया है एवं कुणाल गुईं, सिविल इंजीनियर द्वारा ट्रेस किया गया। ट्रेस मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित रास्ता को लाल रंग से दशार्या गया है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जांच प्रतिवेदन द्वितीय पक्ष का कारण पृच्छा एवं प्रस्तुत कागजात के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित भूमि अनाबाद (बिहार) झारखण्ड सरकार की है। मूल लीजधारी सीताराम साव को बगीचा लगाने हेतु उक्त भूमि लीज पर दिया गया था, जिसका लीज अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। आवेदकगण को आवागमन हेतु रास्ता नहीं दिये जाने पर उनका जनजीवन प्रभावित होगा एवं पब्लिक न्यूसेंस उत्पन्न होगा। अत्एव वहां के जनता को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना एवं रास्ता में किसी प्रकार के बाधा को हटाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत आवेदकगण डिम्पल कर्मकार एवं अन्य सभी निवासी पुलहातु (शिव मंदिर के सामने) थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा को आवागमन हेतु 10 फीट रास्ता एवं नाली के 2 फीट कुल 12 फीट का रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया जाता है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अमीन से ट्रेस मैप के अनुसार 12 फीट का रास्ता स्थल पर चिन्हित करते हुये आवेदकगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने अथवा आदेश का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं थाना प्रभारी, सदर चाईबासा को भेजें।

6.8.2021

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर चाईबासा।

Digitally signed by SHASHINDRA BARAIK
Date: 2023.01.20 15:14:44 +05:30
Location: 192.168.29.68